

विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 22 मई, 2007

क्र. 3180-197-इक्कीस-अ(प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

*मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
राजेश यादव, उपसचिव.*

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 4 सन् 2007.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश, 2007.

विषय-सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
2. लागू होना.
3. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

4. समिति का गठन, संरचना, निरर्हता तथा कृत्य.

अध्याय-तीन

प्रवेश

5. पात्रता.
6. सामान्य प्रवेश परीक्षा.
7. प्रवेश
8. स्थानों का आरक्षण.

अध्याय—चार
फीस का निर्धारण

9. कारक.

अध्याय—पांच
प्रकीर्ण

10. अपील.
11. अध्यादेश का अध्यारोही प्रभाव होगा.
12. नियम बनाने की शक्ति.
13. विनियम बनाने की शक्ति.
14. नियमों का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.
15. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.
16. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक 4 सन् 2007.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश, 2007.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)में दिनांक 22 मई, 2007 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया]

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश राज्य में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन तथा फीस के निर्धारण के लिए उपबंध करने तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये स्थानों के आरक्षण हेतु तथा उनसे संसक्त या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

अध्याय—एक प्रारंभिक

1.

संक्षिप्त नाम, विस्तार

और प्रारंभ

(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश, 2007 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. यह अध्यादेश निम्न पर लागू होगा—

लागू होना.

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा संप्रवर्तित तथा पोषित संस्थाओं से भिन्न विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं या उनकी संघटक इकाइयां जो व्यावसायिक शिक्षा दे रही हैं ; और
(ख) किसी केन्द्रीय या मध्यप्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं ।

3.

परिभाषाएं.

इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “ समुचित प्राधिकारी” से अभिप्रेत है व्यावसायिक शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मापदण्डों और शर्तों को अधिकथित करने के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय या राज्य प्राधिकारी ;

(ख) ‘केपीटेशन फीस’ से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश के अधीन अवधारित फीस के अतिरिक्त, कोई भी रकम, जो या तो नकद में या वस्तु के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त या संगृहीत या प्राप्त की गई हो, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ग) “समिति” से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति;

(घ) “सामान्य प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिये केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिये संचालित कोई प्रवेश परीक्षा ;

(ड.) “फीस” से अभिप्रेत है शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार ;

(च) “विदेशी अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है विदेशी पासपोर्ट धारण करने वाला कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा दे रहे किसी डीम्ड विश्वविद्यालय में या सहायता न पाने वाले किसी निजी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश चाहता है ;

(छ) “प्रबंधन” से अभिप्रेत है सहायता न पाने वाली किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था का प्रबंधन तथा नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति या निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ;

(ज) “अल्पसंख्यक” से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का संख्यांक 2) की धारा-2(च) के अधीन परिभाषित अल्पसंख्यक ;

(झ) “अल्पसंख्यक संस्था” से अभिप्रेत है व्यावसायिक शिक्षा दे रही ऐसी संस्था जो किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित तथा प्रशासित की गई हो ;

(ञ) “अनिवासी भारतीय” का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड) में उसके लिये दिया गया है ;

(ट) “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ठ) “सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ड) “व्यावसायिक पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है समुचित प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित अध्ययन-पाठ्यक्रम जैसे उपाधि, उपाधि-पत्र या प्रमाण पत्र चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ढ) “व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्यांक 3) की धारा-3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई

कोई संघटक इकाई सम्मिलित है और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ण) “आरक्षित स्थान” से अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित किये गये स्थान, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(त) “स्वीकृत अंतर्ग्रहण” से अभिप्रेत और विवक्षित है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक संस्था में अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये स्वीकृत स्थानों की कुल संख्या ;

(थ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(द) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

अध्याय – दो

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

4. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिये स्थानों तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिये एक समिति गठित करेगी जिसे प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति कहा जायेगा ।
- (2) समिति की अध्यक्षता सभापति (चेयरपर्सन) द्वारा की जायेगी जो किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय समझी गई संस्था का कुलपति रहा हो या ऐसा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहा हो जो राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो और इसके अन्तर्गत चार अन्य सदस्य होंगे जिन्हें वित्त, प्रशासन या विधि, तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा के मामलों में विशेषज्ञता हासिल हो ।
- (3) समिति का कार्यकाल उसके अधिसूचित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष का होगा तथा किसी भी कारण से इससे पूर्व उद्भूत

होने वाली किसी रिक्ति की दशा में, राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल के शेष भाग के लिये ऐसी रिक्ति भरी जायेगी।

- (4) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेंगी कि उसमें कोई रिक्ति है या समिति के गठन में कोई त्रुटि है।
- (5) कोई व्यक्ति, जो सहायता पाने वाली या सहायता न पाने वाली निजी शिक्षण संस्था से संबद्ध है समिति का सदस्य होने के लिये पात्र नहीं होगा।
- (6) समिति का सभापित (चेयरपर्सन) या कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रहेगा यदि वह ऐसा कोई कार्य करता है जिससे राज्य सरकार की राय में उसका समिति का सभापति (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में बना रहना अनुपयुक्त हो गया है।
- (7) समिति, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किये गये विनियमों के अनुसार अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी।
- (8) समिति, सहायता पाने वाली या सहायता न पाने वाली किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था से या डीम्ड विश्वविद्यालय से विहित तारीख तक ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी कि समिति को फीस का अवधारण करने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हो, जो कि प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में संस्था द्वारा प्रभारित की जायेगी और इस प्रकार अवधारित की गई फीस, ऐसी कालावधि के लिये विधिमान्य होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।
- (9) समिति, इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रवेश, कैंपेडेशन फीस या अवधारित की गई फीस से अधिक फीस के संग्रहण या किसी संस्था द्वारा लाभ प्राप्त करने के संबंध में शिकायतों को सुन सकेगी और यदि समिति जांच के पश्चात् यह पाती है कि सहायता न पाने वाले व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्था की ओर से प्रवेश के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, तो वह संबंधित व्यक्ति को, संग्रहीत की गई अधिक रकम की वापसी के लिये समुचित अनुशंसा करेगी और सरकार को दस लाख रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित करने के लिये भी अनुशंसा करेगी तथा सरकार ऐसी अनुशंसा की प्राप्ति पर, प्रत्येक ऐसे उल्लंघन की दशा में जुर्माने को निर्धारित करेगी और उसे संग्रहीत करेगी या ऐसी अन्य कार्रवाई के लिये विनिश्चय करेगी जैसा कि वह उचित समझे और इस प्रकार नियत की गई रकम उस पर ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जायेगी और समिति किसी विशेष महाविद्यालय या संस्था में किन्ही या समस्त स्थानों के संबंध में दिये गये प्रवेश को गुणागुण के विपरीत तथा

अविधिमान्य घोषित कर सकेगी तथा संबंधित विश्वविद्यालय को इसे संसूचित करेगी तथा विश्वविद्यालय, ऐसी संसूचना की प्राप्ति पर, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित करेगा एवं पूर्व में दी गई परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर देगा।

(10) समिति का, यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी सहायता न पाने वाले व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्था ने इस अध्यादेश के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, तो वह राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय या समुचित प्राधिकारी को ऐसे महाविद्यालय या संस्था की संबद्धता या मान्यता वापस लेने के लिये अनुशंसा कर सकेगी या कोई अन्य कार्रवाई करने का विनिश्चय कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे।

(11) समिति को, उसके कृत्यों के निर्वहन में उद्भूत होने वाले समस्त मामलों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अध्यादेश के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जबकि वह किसी वाद का विचारण कर रही हो, सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी, जब तक कि निम्नलिखित मामलों के विषय में वाद का विचारण चल रहा हो, अर्थात् :-

(क) किसी साक्षी को समन करना तथा हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ—पत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(12) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी संस्था में प्रवेश

उचित और पारदर्शी रीति में किया गया है।

अध्याय – तीन
प्रवेश

5. पात्रता किसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए पात्रता ऐसी होगी जैसा कि समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए।
6. सामान्य प्रवेश परीक्षा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में स्वीकृत अंतर्ग्रहण में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर, ऐसी रीति में होगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय ।
7. प्रवेश सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रत्येक प्रवेश, इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा और इसके उल्लंघन में किया गया प्रत्येक प्रवेश शून्य होगा।
8. स्थानों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से भिन्न सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रवेश के प्रक्रम पर स्थानों का आरक्षण किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

अध्याय – चार
फीस का निर्धारण

9. कारक (1) समिति, सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस, विहित की गई

रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी—

(एक) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थिति;

(दो) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;

(तीन) भूमि और भवन का मूल्य;

(चार) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद और उपस्कर;

(पांच) प्रशासन तथा संधारण पर व्यय;

(छह) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्य;

(सात) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति किसी फीस के निर्धारण के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी :

परन्तु समिति द्वारा निर्धारित की गई ऐसी कोई फीस, शिक्षा में मुनाफाखोरी या उसके वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

अध्याय – पांच

प्रकीर्ण

10.

अपील.

राज्य सरकार, एक समय में एक वर्ष से अनधिक वर्ष के लिए अपील प्राधिकारी को नियुक्त करेगी जिसमें ऐसा व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या ऐसा व्यक्ति जो राज्य के मुख्य सचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, होगा, और जिसके समक्ष राज्य में समिति के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था ऐसे

आदेश के पारित होने के 30 दिन की कालावधि के भीतर अपील कर सकेगी।

11. अध्यादेश का अध्यारोही प्रभाव होगा। इस अध्यादेश के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अध्यादेश से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
12. नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
13. विनियम बनाने की शक्ति।
- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश और उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगी।
 - (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-
 - (क) समिति का गठन एवं कार्य और निबंधन तथा शर्तें;
 - (ख) व्यावसायिक संस्था में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति और स्थानों का आवंटन जिसमें विदेशी या अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है;
 - (ग) किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा अभ्यर्थियों पर प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण की रीति या मानदंड;
 - (घ) व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा अभ्यर्थियों पर प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ड.) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या जो विहित किये जाएं।

14.
नियमों का विधानसभा
के समक्ष रखा जाना

इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

15.
कठिनाइयां दूर करने
की शक्ति

(1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार, इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न होने वाले, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु इस अध्यादेश के प्रारंभ से दो वर्षों की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

16.
सद्भावपूर्वक की गई
कार्रवाई का संरक्षण

इस अध्यादेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या अपील प्राधिकारी अथवा समिति के सभापति (चेयरपर्सन) या सदस्यों के विरुद्ध नहीं होगी।

भोपाल:

तारीख 21 मई , 2007

बलराम जाखड़
राज्यपाल
मध्यप्रदेश